

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)
प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

8. परियोजना/ स्कीम का स्थान

- यह परियोजना, लोक निर्माण विभाग, जनपद बिजनौर द्वारा बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 13.61 (संशोधित 27.23) हे० चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश
- बिजनौर
- सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर। 30प्र०
- 13.61 हे० (संशोधित 27.23 हे०)
- वन भूमि (भूमि पर स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का है।)
- 0.10
- 1249 वृक्षों की सूची संलग्न है।
- सामान्य
- प्रस्तावित भूमि संरक्षित वन भूमि का भाग है।
- लागू नहीं
- (i) राज्य /संघ षासित क्षेत्र
- (ii) जिला
- (iii) वन प्रभाग
- (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०में)
- (v) वन की कानूनी स्थिति
- (vi) हरियाली का घनत्व
- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि, श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिवाई /जलीय परियोजना के संबंध में एफ एल आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ० आर० एल०-4 मीटर भी संलग्न किया जाए।
- (viii) भू-संरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर टिप्पणी।
- (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कैरिडोर आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का व्योस और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबंधित की जाए)

- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। यदि हां तो तत्संबंधी व्योरा दें। : लागू नहीं
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुनरावृत्तीय /पारम्परिक स्थल/सुरक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी व्योरा समक्ष प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें। : लागू नहीं
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम- 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं - तो जांचे गये विकल्पों के व्योरा के साथ मदवार वस्तुतः क्षेत्र क्या है। : हां
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि में दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्यों का व्योरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। : नहीं
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्योरा
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार। : 55.00 हे०
भू-खण्डों की संख्या-03
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण वनीकरण के अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र, आस पास के वन क्षेत्र और आस पास की सीमाओं का दर्शाता मैप। : संलग्न है।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण। कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूचित लागत, ढाचां आदि। : संलग्न है।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। : संलग्न है।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।) : संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को : संलग्न है।

दर्शाते हुए (संलग्न करें)।

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 12. विभाग / जिला प्रोफाइल । | : | |
| (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र | : | 45,61,000.00 हेक्टेयर |
| (ii) जिले का वन क्षेत्र | : | 47,815.69 हेक्टेयर |
| (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र। | : | 8.354 हेक्टेयर |
| (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | : | 32.92 हेक्टेयर |
| (क) दण्ड के रूप में वनीकरण सहित वन भूमि | : | _____ |
| (ख) वनेतर भूमि पर | : | _____ |
| (v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | : | |
| (क) वन भूमि पर | : | _____ |
| (ख) वनेतर भूमि पर | : | 32.92 हेक्टेयर |

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को : प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।
अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

तिथि :

स्थान : बिजनौर


प्रभासीसंगतिवेसक
साम्प्रिक जक निकाि अमप्रमाण
बिजनौर नौर